

62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-797-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.08.2014 पारित द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 119/बी-103/33/2013-14

1. बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा द्वारा
शाखा प्रबंधक, जबलपुर (म.प्र.)
2. मै. चौबे डेरी फार्म
द्वारा प्रोपराइटर- श्रीमती कृष्णा चौबे
पति स्व. राधेश्याम चौबे
निवासी- महाराजपुर, तह0 व
जिला जबलपुर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा उपपंजीयक, जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर

.....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन मिश्रा
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(आज दिनांक...30/8/14.....को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक
119/बी-103/33/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरुद्ध
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की
धारा-56 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार, मध्यप्रदेश

3

ग्वालियर के ऑडिट दल ने प्रश्नाधीन दस्तावेज क्रमांक स-1/489 दिनांक 18.07.2006 के संबंध में यह आक्षेप लिया है कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यकर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (11)बी-4-80-97 वा0कर0पांच दिनांक 17.02.2000 के अनुसार किसी भूमि स्वामी कृषक द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु अनुसूचित बैंकों से प्राप्त ऋणों के एवज में निष्पादित बंधक विलों के पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क की प्रभार्यता से छूट प्रदान की गई। आवेदक क्र. 1 बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चार दस्तावेजों के माध्यम से अवधि अप्रैल 2006 से अगस्त 2006 के मध्य रुपये 560.97 लाख के ऋण प्रदत्त किए गए। यद्यपि प्रदत्त ऋणों का प्रयोजन "कैश क्रेडिट एवं सावधिक ऋण" जो कि कृषि प्रयोजन से भिन्न है तथापि इन ऋणों के एवज में निष्पादित दस्तावेजों के पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क की प्रभार्यता से छूट प्रदान की गई। प्रदत्त ऋण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दिया गया, जो कि भूमि स्वामी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन दस्तावेजों में अनियमित छूट देने से राजस्व की हानि हुई।

ऑडिट के उक्त आक्षेप से सहमत होते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2014 द्वारा 4,92,500/- कमी मुद्रांक शुल्क एवं दस्तावेज असम्यक रूप से स्टाम्पित हैं, इसलिए धारा- 40(ख) के तहत शास्ति 5,000/- इस प्रकार कुल 4,97,500/- रुपये जमा कराने के आदेश पक्षकार को दिए। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि डेयरी विकास हेतु ऋण कृषि प्रयोजन ऋण के अंतर्गत नहीं आता है जो न समझने में भूल की है जो मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम 1972 की धारा 2 में परिभाषा के तहत कृषि में दुग्ध उत्पादन शामिल है। दुग्ध उत्पादकगण भी इस प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल व्यक्तियों में हैं और अभिव्यक्ति 'कृषि उत्पाद' के तदानुसार अर्थान्वयन किया गया है, पारित आदेश अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 2 विचारण न्यायालय द्वारा कैश क्रेडिट एवं सावधिक ऋण की परिभाषा कृषि प्रयोजन से भिन्न है, का गलत मूल्यांकन किया गया है जबकि डेयरी विकास कृषि विकास के अंतर्गत ही आता है, स्पष्ट है कि कृषि कृषि वित्त पोषण पुस्तिका के तहत डेयरी विकास हेतु ऋण प्राप्त करने की पात्रता के अंतर्गत आता है। ऋण योजना का

3

गलत मूल्यांकन होने से विधि की भूल है जिस पर पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि बंधक विलेखकर्ताओं द्वारा दिनांक 06.03.2006 को प्रभावशील अधिसूचना दिनांक 15.09.78 के अंतर्गत 10 हे. तक के भूमि स्वामियों के लिए कृषक प्रयोजन जिसमें दुग्ध उद्योग आता है, के लिए ही बंधक विलेख पर स्टाम्प शुल्क पर दुग्ध की मात्रा का लाभ प्राप्त कर बंधक विलेख निष्पादित किया गया है, जिसे वर्तमान अधिसूचना की (44) बी-4-29-06-2 पांच दिनांक 25.09.06 के साथ मिलान का आदेश पारित करने की विधि की भूल की है जिस पर भी पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में जो दस्तावेज हैं, वह दिनांक 21.06.2006 को लिखा गया है जबकि डेरी विकास विभाग की जो अधिसूचना है वह दिनांक 25.09.06 की है जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः उनके द्वारा यह मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है दिनांक 21.06.06 को प्रभावशील अधिसूचना दिनांक 15.09.1978 के तहत केवल 10 हेक्टेयर तक भूमि स्वामियों के लिए कृषक प्रयोजन जिसमें दुग्ध उद्योग आता है के लिए बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से छूट थी। उक्त आधार पर उन्होंने ऑडिट आक्षेप को उचित मानते हुए व्यापारित प्रतिष्ठान को छूट का पात्र नहीं मानने में त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित एवं न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।



(एम. गोपाल रेड्डी)

प्रशासकीय सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर